प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1.जिला ओपी एसीबी सीकर, थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्रनिब्यूरो जयपुर वर्ष 2022
प्र0सू0रि0 सं. 496/22 दिनांक 28/12/2022

2.(i) अधिनियम..... भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 धारायें ..... 7 .....
(ii) अधिनियम.....धारायें.....
(iii) अधिनियम..... धारायें.....
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3.(क) रोजनामचा आम रपट संख्या 568 समय 4:10pm
(ख) अपराध घटने का दिन शनिवार दिनांक :– 03.12.2022 समय .....
(ग) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– ..... समय .....

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक :– लिखित

5. घटनास्थल :– ग्राम दुधवा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– पूर्व दिशा में करीब 115 किलोमीटर
(ब) पता :– ग्राम दुधवा में पट्टीयो की दुकान
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ..... जिला .....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम :– श्री मनीराम
(ब) पिता/पति का नाम :– श्री गाड़ाराम
(स) जन्म तिथि/वर्ष :– 29 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता– ..... भारतीय .....
(य) पासपोर्ट संख्या .....
जारी करने की तिथि ..... जारी होने की जगह .....
(र) व्यवसाय :– .....
(ल) पता :– निवासी दुधवा(लीलवा की ढाणी) पुलिस थाना खेतड़ी जिला झुन्झुनूं

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री हनुमान प्रसाद निवासी ग्राम पोस्ट शिमला पुलिस थाना खेतड़ी जिला झुन्झुनूं हाल हैड कानि. नं.884 पुलिस थाना पाटन जिला सीकर

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–.....
..... कोई देरी नहीं हुई .....

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)
.....

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य .... रिश्वती राशि 3,000 रूपये.....

11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

संक्षिप्त हालात इस प्रकार है कि दिनांक 03.12.2022 को समय करीब 10.00एएम पर परिवादी श्री मनीराम ने अपने मोबाईल फोन नम्बर 9680459449 से श्री राजेश जागिड़, उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल फोन नम्बर 9694899999 पर कॉल कर श्री महेन्द्र सिंह, हैड कानि. पुलिस थाना पाटन जिला सीकर द्वारा रिश्वत की मांग करने तथा उसको रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाने की ओर एसीबी के किसी कर्मचारी को नीमकाथाना भिजवाने की कही, जिस पर श्रीमान उप अधीक्षक पुलिस ने मामलें में मन् पुलिस निरीक्षक को अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये। जिस पर समय 10.40 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा रिश्वत के मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु कार्यालय के श्री कैलाश चन्द कानि. नं. 568 को कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर तथा परिवादी के मोबाईल नम्बर उपलब्ध करवाये जाकर रिश्वत की मांग के सत्यापन हेतु परिवादी से कस्बा नीमकाथाना में सम्पर्क कर परिवादी से प्रार्थना पत्र एवं उसके साथी नरेन्द्र का अधिकार पत्र प्राप्त कर टेप रिकार्डर चालू व बन्द करने की विधि समझाने तथा बाद सत्यापन कार्यालय में उपस्थित होने की मुनासिब हिदायत देकर रवाना किया गया।

तत्पश्चात समय 02.00 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक को श्री कैलाश चन्द कानि. नं. 568 ने पाटन से जरिये वाटसअप कॉल कर बताया कि "कस्बा नीमकाथाना में पहूँच मैने परिवादी से सम्पर्क कर परिवादी से प्रार्थना पत्र एवं उसके साथी नरेन्द्र का अधिकार पत्र प्राप्त कर टेप रिकार्डर चालु व बन्द करने की विधी परिवादी को समझाकर परिवादी के साथ रवाना होकर पुलिस थाना पाटन कें पास पहूँच मैने टेप रिकार्डर मय मय मेमोरी कार्ड के चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर दिया। थोड़ी देर बाद परिवादी ने वापिस आकर टैप रिकार्डर मन कानि. को सुपुर्द कर बताया कि श्री महेन्द्र सिंह हैड कानि. थाने पर उपस्थित नही मिला तो मैंने उसको फोन किया तो हैड कानि. ने बताया कि मैं गॉव जा रहा हूँ बस स्टेण्ड पाटन पर बस का ईन्तजार कर रहा हूँ जिस पर मैं बस स्टेण्ड पर पहूँचा तो उस समय हैड कानि. बस में बैठ कर रवाना हो रहा था जिसने मुझे फोन पर बात करने का ईशारा किया जिस पर मैंने हैड कानि. से फोन पर बात की तो उसने कहा कि दुधवा में पट्टीयो की दुकान पर आ जाना। मेरे फोन का स्पीकर ऑन नही होने के कारण हैड कानि. से फोन पर हुई वार्ता रिकार्ड नही हो सकी।" जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने कानि. कैलाश चन्द को परिवादी के साथ ग्राम दुधवा में जाकर सत्यापन करवाने एवं बाद सत्यापन कार्यालय में उपस्थित होने की मुनासिब हिदायत दी।

दिनांक 03.12.2022 को समय 09.00 पीएम पर श्री कैलाश चन्द कानि. ने मन् सुरेशचन्द पुलिस निरीक्षक के समक्ष परिवादी श्री मनीराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि " निवेदन है कि मैं ड्राईवर का कार्य करता हूँ पहले मैं किशोरपुरा से गुड़गॉव के लिए डस्ट भरी थी लेकिन मेरे दोस्त नरेन्द्र पुत्र बहादुरमल निवासी किशोरपुरा को गुड़गॉवा ले जाने के लिए सम्भलाया था मेरे साथी नरेन्द्र के द्वारा ट्रक को किशोरपुरा गॉव में बैक लेते समय गॉव में बनी टंकी सिमेन्ट की पानी की टंकी क्षतिग्रस्त हो गई। जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना पाटन का मुन्सी महेन्द्र कर रहा है उसने मेरे साथी नरेन्द्र की उक्त कैस में मदद करने के नाम से पॉच हजार रूपये पहले ले लिये तथा पॉच हजार रूपये की ओर मांग कर रहा है। मैं महेन्द्र मुन्सी पुलिस थाना पाटन को रिश्वत नही देना चाहता हूँ। महेन्द्र मुन्सी से मेरे कोई उधार और रजींश नही है रिपोर्ट करता हूँ कार्यवाही करे। नरेन्द्र का अधिकार/अधिकृत साथ है। एसडी–मनीराम पुत्र गाड़ाराम जाति गुर्जर उम्र 29साल निवासी दुधवा(लीलवा की ढाणी) पुलिस थाना खेतड़ी जिला झुन्झुनूं मो.9680459449 दिनांक 03.12.2022" श्री कैलाश चन्द कानि.568 ने परिवादी के साथी नरेन्द्र का अधिकार पत्र तथा डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर बताया कि " कस्बा नीमकाथाना में पहूँच मैने परिवादी से सम्पर्क कर परिवादी से प्रार्थना पत्र एवं उसके साथी नरेन्द्र का अधिकार पत्र प्राप्त कर टेप रिकार्डर चालु व बन्द करने की विधी परिवादी को समझाकर परिवादी के साथ रवाना होकर पुलिस थाना पाटन के पास पहूँच मैने टेप रिकार्डर मय मय मेमोरी कार्ड के चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर दिया। थोड़ी देर बाद परिवादी ने वापिस आकर टैप रिकार्डर मन कानि. को सुपुर्द कर बताया कि श्री महेन्द्र सिंह हैड कानि. थाने पर उपस्थित नही मिला तो मैंने उसको फोन किया तो हैड कानि. ने बताया कि मैं गॉव जा रहा हूँ बस स्टेण्ड पाटन पर बस का ईन्तजार कर रहा हूँ जिस पर मैं बस स्टेण्ड पर पहूँचा तो उस समय हैड कानि. बस में बैठ कर रवाना हो रहा था जिसने मुझे फोन पर बात करने का ईशारा किया जिस पर मैंने हैड कानि. से फोन पर बात की तो उसने कहा कि दुधवा में पट्टीयो की दुकान पर आ जाना। मेरे फोन का स्पीकर ऑन नही होने के कारण हैड कानि. से फोन पर हुई वार्ता रिकार्ड नही हो सकी। जो कस्बा पाटन से उक्त बाते जरिये वाटसअप कॉल मेंने आपको बताई थी। तत्पश्चात आपके निर्देशानुार मैं ओर परिवादी पाटन से रवाना होकर गॉव दुधवा पहुँचे। जो पाटन से लगभग 30 किमी उतर की ओर है। दुधवा पहुँचने के बाद पटटीयो की दुकान से पहले मैंने टैप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के परिवादी को सुपुर्द कर दिया जिस पर परिवादी आरोपी के पास ग्राम दुधवा में पटटीयो की दुकान पर चला गया। करीब 30मिनट बाद परिवादी मेरे पास आने पर टेप रिकार्डर को वापिस प्राप्त कर लिया।" कानि. ने बताया कि परिवादी ने दिनांक 05.12.2022 को पुलिस थाना पाटन पर ही आरोपी को रिश्वत देने की कही है। टेप रिकार्डर को सुना गया तो मेमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्तालाप से परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद होती है। अतः परिवादी द्वारा कानि. को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के सुरक्षित आलमारी में रखा गया।

तत्पश्चात दिनांक 04.12.2022 को समय 07.28 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री मनीराम को उसके मोबाईल नं. 9680459449 पर फोन कर दिनांक 05.12.

2022 को समय 08.30एएम पर रिश्वती राशि की व्यवस्था कर चौकी हाजा पर स्वंय को एवं अपने साथी नरेन्द्र के साथ उपस्थित होने की हिदायत खास की गई। दिनांक 05.12.2022 को समय 10.00 एएम पर परिवादी श्री मनीराम एवं उसके साथी श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र बहादुरमल जाति गुर्जर के कार्यालय में उपस्थित आये। मजिद दरियाफ्त पर परिवादी ने दिनांक 03.12. 2022 को श्री कैलाश चन्द कानि. को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अधिकार पत्र की ताईद करते हुये आरोपी श्री महेन्द्र सिंह, हैड कानि. पुलिस थाना पाटन जिला सीकर से पूर्व का कोई उधार लेनदेन एवं आपसी रंजिश से ईन्कार करते हुये प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित एवं हस्ताक्षरित होना बताया। परिवादी के साथी श्री नरेन्द्र ने अधिकार पत्र स्वंय के द्वारा हस्तलिखित एवं हस्ताक्षरित होना बताया व परिवादी मनीराम को सुपुर्द करना बताया। परिवादी मनीराम ने अग्रिम कार्यवाही स्वयं के द्वारा ही करवाने की कही। पूर्व से कार्यालय खनि अभियंता, खनिज विभाग, सीकर से उपस्थित स्वतन्त्र गवाहान श्री भवानी सिंह, वरिष्ठ सहायक एवं श्री महेन्द्र गोदारा, वरिष्ठ सहायक का परिवादी मनीराम से आपस में परिचय करवाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अधिकार पत्र पढकर सुनाया व समझाया जाकर परिवादी के प्रार्थना पत्र एवं अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करवाये गये तथा मामले में गवाह रहने हेतु सहमति प्राप्त की गई। समय 11.30 एएम पर परिवादी मनीराम द्वारा दौराने रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 03.12.2022 को आरोपी श्री महेन्द्र सिंह, हैड कानि. पुलिस थाना पाटन जिला सीकर से हुई बातचीत को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड़ किया गया, जिसको परिवादी एवं गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर में लगाकर मेमोरी कार्ड में रिकार्डिंग वार्ता का रूपान्तरण किया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से सीडी तैयार कर अन्वेषण हेतु खुली रखी गई तथा डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क ''ए'' अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड वार्तालाप में परिवादी मनीराम ने स्वंय की व आरोपी श्री महेन्द्र सिंह, हैड कानि. पुलिस थाना पाटन जिला सीकर की आवाजों की पहचान की।

तत्पश्चात समय 01.00 पीएम पर परिवादी मनीराम को आरोपी श्री महेन्द्र सिंह हैड कानि. से उसके मोबाईल फोन पर फोन करवाया तो श्री महेन्द्र सिंह हैड कानि ने फोन रिसीव नही किया। तत्पश्चात परिवादी ने गोपनीय रूप से मालूम कर बताया कि आज श्री महेन्द्र सिंह, हैड कानि. पुलिस थाना पाटन पर उपस्थित नही है तथा परिवादी ने यह भी बताया कि मुझे घर पर आवश्यक कार्य होने से आईन्दा उपस्थित होकर कार्यवाही करवाउगा। इस पर परिवादी श्री मनीराम एवं उसके साथी नरेन्द्र एवं स्वतंत्र गवाहो को हिदायत खास कर रवाना किया।

दिनांक 19.12.2022 को समय 10.00 एएम पर परिवादी श्री मनीराम अपने साथी श्री नरेन्द्र कुमार गुर्जर के साथ उपस्थित कार्यालय आया। परिवादी ने बताया कि श्री महेन्द्र सिंह हैड कानि. पुलिस थाना पाटन ने न तो मेरे से एवं न मेरे साथी नरेन्द्र से सम्पर्क किया। महेन्द्र सिंह हैड कानि. ने मेरे परिवार के लोगो को भी अपने परिचितो से फोन करवाकर मेरे द्वारा शिकायत करने की बात कही है। मेरे साथी नरेन्द्र की पुलिस थाना पाटन में दर्ज एफआईआर नं. 426/22 में मदद करने की एवज महेन्द्र सिंह हैड कानि. रिश्वत मांग कर रहा था, अब महेन्द्र सिंह हैड कानि. को मेरे पर शक हो गया है अब वह मेरे से रिश्वत नहीं लेगा और न ही बात करेगा। ऐसी स्थिति में अग्रिम ट्रेप कार्यवाही नहीं की जा सकी। चूँकि रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 03.12.2022 के दौरान परिवादी ने अपने साथी नरेन्द्र के विरूद्ध दर्ज केस के सम्बन्ध में हैड कानि. महेन्द्र सिंह से वार्ता की तो आरोपी हैड कानि. महेन्द्र सिंह ने कहॉ कि '' **तेरो काम सलटा दुगों ओर ई तारीख पर ही सलटा दुगों अगर बाबु बैठ जायेगा न तो**'' जिस पर परिवादी ने कहा कि '' **अच्छा–अच्छा, मैं तो म्हण अयां बताओ थोड़ो सो अयां इशारो कर दो कि भई ईताक रिपीया तक हो जायगो, अया बतादो जो भी पिसा ही थोड़ो तम अंदाज स बतादयो**'' जिस पर आरोपी ने कहा कि '' **चारेक लिया**'' जिस पर परिवादी ने कहा कि ''चार हजार'' जिस पर आरापी कहता है कि ''**सलटा दुगों, ठीक है**'' इस पर परिवादी आरोपी को रूपये कम करने के लिए कहते हुये कहता है कि '' **तो तीन हजार पहुँचा दु**'' तो आरोपी कहता है कि ''**पहुँचा दी जे**'' **आदि** कथनों से परिवादी के साथी नरेन्द्र के विरूद्ध दर्ज केस में मदद करने की एवज में आरोपी श्री महेन्द्र सिंह, हैड कानि. पुलिस

थाना पाटन जिला सीकर द्वारा तीन हजार रूपये बतौर रिश्वत की मांग किये जाने की पृष्टि होती है।

इस प्रकार की गई उपरोक्त कार्यवाही से आरोपी श्री महेन्द्र सिंह, हैड कानि. पुलिस थाना पाटन जिला सीकर द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये परिवादी श्री मनीराम के साथी नरेन्द्र के विरूद्ध पुलिस थाना पाटन में दर्ज केस में मदद करने के नाम पर 3000रूपये बतौर रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टया पाया जाता है। आरोपी श्री महेन्द्र सिंह, हैड कानि. पुलिस थाना पाटन जिला सीकर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 के तहत दण्डनीय है।

अतः आरोपी श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री हनुमान प्रसाद निवासी ग्राम पोस्ट शिमला पुलिस थाना खेतड़ी जिला झुन्झुनूं हाल हैड कानि. नं.884 पुलिस थाना पाटन जिला सीकर के विरूद्व अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते कमांकन हेतु सीपीएस एसीबी, जयपुर को प्रेषित है।

(सुरेशचन्द)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,सीकर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेश चन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री महेन्द्र सिंह, हैड कानि0 नं0 884 पुलिस थाना पाटन जिला सीकर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 496/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

28.12.22

पुलिस अधीक्षक प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांकः- 4198-4201 दिनांक 28.12.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कम संख्या-2, जयपुर।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला सीकर।
3. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर।

28.12.22

पुलिस अधीक्षक प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।